न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 713/2023

अनवान : –

1. संजय कुमार पुत्र स्व0 रामेश्वरलाल जाति ब्राहमण (जोशी) साकिन किंकरालीया तहसील रावतसर हाल आबाद वार्ड स0 22 नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. कंचन शर्मा पुत्री स्व0 रामेश्वरलाल पत्नी दिनेश कुमार शर्मा जाति ब्राहमण साकिन 57 ए राम मन्दिर के पीछे 22 गोदाम हवा सड़क जयपुर।
2. कृष्णा देवी पत्नी स्व0 रामेश्वरलाल जाति ब्राहमण (जोशी) साकिन किंकरालीया तहसील रावतसर हाल आबाद वार्ड स0 22 नोहर तहसील नोहर।
3. अंजु पचारिया पुत्री स्व0 रामेश्वरलाल पत्नी अशोंक पंचारिया जाति ब्राहमण निवासी नया शहर पुलिस थाना के सामने बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री कुलदीप खुडिया अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 08/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 461/461 के प0न0 307/419 मु0न0 357 के किला न0 1/1, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 व किला न0 6 ता 20 व किला न0 22 ता 25 की कुल 5.9460 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता रामेश्वरलाल के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज हुई है। प्रतिवादीगण संख्या 3 जो की वादी की बहिन है एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 जो की वादी की माता है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर चुकी है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद भूमि का बाहमी बंटवारा कर रखा है एवं मुताबिक बंटवारा वादी व प्रतिवादीगण निम्नानुसार काबिज है– रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 461/461 के प0न0 307/419 के मु0न0 357 के किला न0 1/2, 2/2, 3/2 व 7 ता 14 व 17 ता 20 व 22 ता 24 की कुल 4.4790 हैक्ट भूमि पर वादी अकेला काबिज है तथा रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 461/461 के प0न0 307/419 के मु0न0 357 के किला न0 4/2 व 5/2, 6, 15, 16, 25 की कुल 1.467 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:26:03 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादीगण को कई [illegible] कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में [illegible] तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पे[illegible] किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने राजीनामा इस आशय का पेश किया की उक्त वाद भूमि में से प्रतिवादी स0 1 व 3 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में बहिब परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब काबिज है। इसी अनुसार वादी वादी डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण का राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता रामेश्वरलाल के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज हुई है। प्रतिवादी स0 1 व 3 ने उक्त वाद भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में बहिब परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब काबिज है। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 461/461 के प0न0 307/419 मु0न0 357 के किला न0 1/1, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 व किला न0 6 ता 20 व किला न0 22 ता 25 की कुल 5.9460 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी का कथन है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने राजीनामा इस आशय का पेश किया की उक्त वाद भूमि में से प्रतिवादी स0 1 व 3 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में बहिब परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब काबिज है। इसी अनुसार वादी वादी डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:26:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नही है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 461/461 की कुल 5.9460 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:26:03 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 713/2023

अनवान : –

1. संजय कुमार पुत्र स्व0 रामेश्वरलाल जाति ब्राहमण (जोशी) साकिन किंकरालीया तहसील रावतसर हाल आबाद वार्ड स0 22 नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. कंचन शर्मा पुत्री स्व0 रामेश्वरलाल पत्नी दिनेश कुमार शर्मा जाति ब्राहमण साकिन 57 ए राम मन्दिर के पीछे 22 गोदाम हवा सड़क जयपुर।
2. कृष्णा देवी पत्नी स्व0 रामेश्वरलाल जाति ब्राहमण (जोशी) साकिन किंकरालीया तहसील रावतसर हाल आबाद वार्ड स0 22 नोहर तहसील नोहर।
3. अंजु पचारिया पुत्री स्व0 रामेश्वरलाल पत्नी अशोंक पंचारिया जाति ब्राहमण निवासी नया शहर पुलिस थाना के सामने बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 713 सन 2023 निर्णय दिनांक 08/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री कुलदीप सिंह खुडिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 461/461 की कुल 5.9460 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:26:03 IST
Reason: SelfAttested